POLITY

LS ⇒ 500 सीट / सदस्य
↓
500 - 525 ⇒ 7वां 1956
- सीट / सदस्य ⇒ 1971 की जनगणना के आधार वर्ष पर
- निश्चित (fixed) ⇒ 84 वां CA 2001 ⇒ 2026 तक सीटों की संख्या निश्चित

545
- राज्य 524
- केंद्र शासित प्रदेश 19
- 2 Anglo-Indians (आंग्ल भारती) ⇒ मनोनीत (Nominat
 ↓
 राष्ट्रपति द्वारा Art. 331

524
19
2
- 104 CA 2019 ⇒ इसमें कहा गया कि LS में आंग्ल-भारतीय सदस्यों अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जायेगा। ⇒ लागू - 25 Jan. 2020

545 ⇒ 1973
- वर्तमान में सीट ⇒ 545

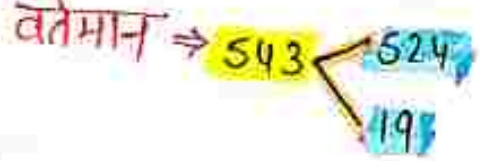
-2
543
- वर्तमान सदस्य संख्या ⇒ 543

Max सीट ⇒ 552
Max - सदस्य ⇒ 550

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the Constituencies of the States and 20 members from the Union territories.





524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25, जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।

524 members from the States and 19 members from the Union territories. The 104th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and State assemblies from January 25, 2020.

Art. 330 → SC / ST → Reservation आरक्षण → LS में

Art. 332 → SC / ST → Reservation आरक्षण → विधानसभा में
legislative Assembly

⇒ शुरुआत में SC / ST को LS और VS में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन समय - समय पर इसे बढ़ाया गया।

⇒ 104 CA 2019 के द्वारा SC / ST के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। (10 वर्षों के लिए)
⇒ लागू ⇒ 25 Jan. 2020

SC एवं ST का आरक्षण - अनुच्छेद 330 - 104 वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
Reservation of SC and ST - Article 330 104th Constitutional Amendment (2019) The provision regarding reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes in the Lok Sabha has been extended till 2030.

→ इसी संशोधन द्वारा विधानसभा में आंग्ल - भारतीय सदस्य जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Art. 333) में मनोनीत किया जाता था उसे समाप्त कर दिया।

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गयी 84 वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 ही रहेगी।

Under this provision of the Constitution, the number of elected members of the Lok Sabha was fixed at 543 on the basic of the 1971 Census. By the 84th Constitutional Amendment in 2001, the total number of Lok Sabha members will remain 543 till 2026.

सदस्यों का निर्वाचन [Election of Members]

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किन्तु संविधान के 61 वें संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

The members of Lok Sabha are directly elected on the basis of adult Suffrage. Earlier, a person attaining the age of 21 years was Considered an adult, but by the 61st amendment of the Constitution

in 1989, the age of Voting has been reduced from 21 years to 18 years.

(LS) के सदस्यों का निर्वाचन

(1) प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) → मतदाता (Voters) = जनता

↓

पहले मतदान की न्यूनतम आयु ⇒ 21 वर्ष थी।

लेकिन 61CA 1989 → मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गयी।

18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक

Art. 326 ⇒ कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का है, मतदान कर सकता है।

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है; लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, यदि वह चित्तविकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो (अनु० 326)।

Any person who is a citizen of India and is 18 years of age of above can vote in an election to the Lok Sabha if he is not disqualified from voting under any law made by Parliament

On the grounds of unsoundness of mind, non-residence Conviction of any offence or Corrupt practice (Article-326

सदस्यों की अर्हताएं [Qualification of Members]

लोकसभा तथा राज्य सभा सदस्यों की अर्हताएं अनु० 84 में दी गयी है।

The qualifications for members of Lok Sabha and Rajya Sabha are given in Article. 84.

(i) भारत का नागरिक है। is a Citizen of India.

(ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है। is at least 25 years of age

⇒ LS, RS का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु [minimum Age] 30 years वर्ष होनी चाहिए।

(iii) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची तीन में विहित प्रारूप में शपथ लिया है, has taken Oath in the form prescribed in Schedule III before a person authorized by the Election Commission,

Oath (शपथ) → अनुसूची - 3 में

↳ Art. 99 के द्वारा LS/RS के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

(iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यतायें है जो संसद द्वारा बनायी गयी विधि के तहत निर्धारित की गयी है।
→ पागल न हो (Do not unsound mind)
→ दिवालिया न हो (Do not Insolvent)

He possesses such other qualifications as may be prescribed by law made by parliament
→ दल बदल कानून लागू न हो
→ लाभ के पद पर न हो

सदस्यों की निरर्हताएं [Disqualification Members]

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है
holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution.

(ii) यदि वह विकृतचित्त है दिवालिया है; (पागल)
if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है if he is not a citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य है (दल-बदल कानून लागू हो)
if he is disqualified under the anti-defection law

Q⇒ दल-बदल क्या होता है?

→ 10th Schedule (अनुसूची)

→ 52 CA 1985 द्वारा जोड़ा है।

(a) यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छया छोड़ देता है।

If he Voluntarily leaves the membership of that political party → जिसका वह सदस्य था।

(आया राम गया राम)

(b) यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है।

if he votes or does not vote in the House against the instructions given by that political party.

(c) जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

When an independent member joins a political party after election X 2 LS 12 RS

(d) यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

if a nominated member joins a political party 6 months after taking oath.

अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय

[Decision on disqualification questions]

अनु॰ 103 (अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चत के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ex. मोहन → MP

Article 103 (whether a person has become subject to any of the disqualifications mentioned in Article. 102 or not, the question shall be referred to the president for decision and his decision shall be final.

Disqualification

निर्योग्यता ⇒ प्रश्न ? → मोहन

इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा कि मोहन योग्य है. निर्योग्य, और निर्णय अंतिम होगा। Art. 103

⇓ MP बनने के बाद

⇓

राष्ट्रपति इस विषय में अपना निर्णय देने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते है।

Art. 103